

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239

Web-www.lsgraj.org

Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.550पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019/ 91616

दिनांक: 11/10/19

बैठक कार्यवाही विवरण

नगरीय निकायों द्वारा 08 शहरों क्रमशः जैसलमेर, श्रीगंगानगर, करौली, बूंदी, नोखा, चौमूं, नाथद्वारा व नागौर में संचालित व संधारित जलप्रदाय योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे किया गया। बैठक में संलग्न तालिकानुसार अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उपरोक्त 08 शहरों की जलप्रदाय योजनाओं के तकनीकी मापदण्ड, राजस्व संबंधित आकड़े व मंत्रीमण्डल आज्ञा 204/2012 के मुख्य बिन्दुओं की समीक्षा की गई। बैठक में शासन सचिव महोदय द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी दिए:-

1. सभी आयुक्त/अधिशायी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जलप्रदाय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें एवं विद्युत बिलों का भुगतान प्राथमिकता से समय पर करें तथा निदेशालय के पत्र दिनांक 18.03.2019 एवं 12.09.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
2. निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग से तकनीकी अधिकारी इन 08 शहरों का समय-समय पर फील्ड दौरा करें तथा जलापूर्ति संबंधित समस्या हो तो निकाय स्तर पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करें। उपनिदेशक क्षेत्रीय/आयुक्त/अधिशायी अधिकारी पेयजल से संबंधित कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक कर कार्यवाही विवरण से विभाग को अवगत करावें।
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली पेयजल संबंधी सभी स्थाई/अस्थायी सम्पदाओं का ULBs द्वारा संपदा (Asset) Register में संधारित करना सुनिश्चित करें।
4. आयुक्त/अधिशायी अधिकारियों द्वारा जलापूर्ति योजनाओं पर अभियांत्रिकी स्टाफ की कमी बताई गई जिस पर श्रीमान द्वारा आज ही रिक्त पदों को भरने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र लिखने के निर्देश दिए गये।
5. सभी आयुक्त/अधिशायी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बकाया विद्युत बिल भुगतान के लिए संबंधित जिला कलक्टर के संज्ञान में लावें एवं डिस्कॉम के अधिकारियों से आवश्यक समन्वय रखें ताकि भुगतान में देरी के कारण विद्युत संबंध विच्छेद न किये जावें।
6. अवैध कनेक्शन को कटवाने की अथवा नियमितीकरण की कार्यवाही करें।
7. अप्राप्त (बकाया) जल राजस्व की प्राप्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर वसूली का प्रयास करें। करौली के आयुक्त द्वारा पिछले आठ महीनों के जल राजस्व प्राप्त नहीं होना बताया गया, जिस पर श्रीमान द्वारा तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद्, करौली को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

25/10/19



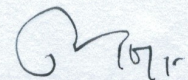
8. नागौर एवं नाथद्वारा के आयुक्त बैठक में अनुपस्थित थे एवं उनके प्रतिनिधी सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आए थे, जिस पर श्रीमान द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नागौर/नाथद्वारा को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
9. शहरी योजना श्रीगंगानगर में आरयूआईडीपी फेज-III के अंतर्गत कार्य धीमे चलने पर नाराजगी व्यक्त की और आरयूआईडीपी के अतिरिक्त परियोजना निदेशक को कार्य शीघ्र संपन्न करवाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि श्रीगंगानगर शहर में संवर्द्धन कार्य के कारण रोड़ साईड में जगह-जगह गड्ढे हो गये हैं, इसके लिए श्रीमान ने आयुक्त को तुरंत गड्ढों को भरने के निर्देश दिये गये।
10. नाथद्वारा, नागौर, जैसलमेर एवं करौली में गैर-राजस्व जल अधिक होने के कारण, संबंधित आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछे कि उन्होंने गैर-राजस्व जल को कम करने के उनके स्तर पर किये गये प्रयास की जानकारी देने के निर्देश गये। अन्य आयुक्त/अधिशायी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गैर-राजस्व जल (Non-Revenue Water) को निर्धारित मात्रा (20%) के अंदर लाने के प्रयास करें।
11. सूखे/नाकारा नलकूपों का विद्युत संबंध तुरंत विच्छेद करवाये तथा सुनिश्चित करें कि इनका विद्युत बिल तो जारी नहीं किया जा रहा। जलापूर्ति योजनाओं को आत्मनिर्भर (Self sustainable) बनाने के लिए निकाय स्तर पर की गयी कार्यवाही का त्रिमासिक ब्यौरा निदेशालय में प्रस्तुत करें।
12. सभी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महीने के प्रथम सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से जलापूर्ति कार्यों की समीक्षा करें तथा इसकी रिपोर्ट से प्रत्येक माह की 10 तारीख को निदेशालय को अवगत कराये।
13. मुख्य अभियंता, आरयूआईडीपी ने जानकारी दी कि करौली शहर में 7000 सीवर कनेक्शन में से 3000 ही किये गये हैं, शेष 4000 कनेक्शन को शीघ्र पूर्ण करावें। इसी तरह ही दूसरे शहर जिनमें सीवर नेटवर्क एवं एसटीपी का कार्य पूर्ण कर दिया गया है, श्रीमान ने निर्देश दिये कि इन जल संबंधों में नियमानुसार जल शुल्क का पीएचईडी के Circular दिनांक 31.03.2017 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सीवर शुल्क के रूप में अतिरिक्त वसूल करें। यह कार्यवाही अन्य समान परिस्थिति वाले सीवरयुक्त शहरों में भी की जावें।
14. बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में शामिल 22 शहर क्रमशः उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, चुरू, बारां, झालावाड़, झालरापाटन, राजसमंद, सुमेरपुर चित्तौड़गढ़, सादुलशहर, संगरिया, हनुमानगढ़, रामगंजमंडी, देशनोक, सरदारशहर, तारानगर, मकराना, ब्यावर, पाली, भवानीमण्डी जिनकी जलापूर्ति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित होनी है के बारे में श्रीमान ने निर्देशित किया कि पहले 08 शहरों की जलापूर्ति-सिस्टम के सफल होने के उपरांत इन 22 शहरों को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये।
15. बैठक के दौरान श्रीमान को अवगत कराया गया कि निदेशालय के जलापूर्ति प्रकोष्ठ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 4 अधिशायी अभियंता कार्य ग्रहण कर चुके हैं।



इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि ये अधिशाषी अभियंतागण प्रभावी समन्वय हेतु इन 08 शहरों का मासिक फील्ड दौरा कर गहन तकनीकी निरीक्षण करेंगे और आवश्यकतानुसार रात्रि विश्राम करेंगे तथा अपना निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे। इस प्रयोजनार्थ वे टैक्सीकार का उपयोग कर सकेंगे और टैक्सीकार के बिल का भुगतान संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

16. सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारीगण ने निवेदन किया कि पेयजल योजनाओं के पूंजीगत कार्य कराने तथा संचालन एवं संधारण हेतु राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है, जिससे इन योजनाओं के पूंजीगत कार्य करने तथा संचालन एवं संधारण में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में श्रीमान को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा जल योजनाओं से संबंधित विद्युत बिल, रसायन सामग्री, पाईपलाईन/पम्प मशीनरी अनुरक्षण एवं रख-रखाव, बल्क वाटर एवं पूंजीगत निर्माण कार्य हेतु पूर्व में 3 बार वित्त विभाग को फाईल प्रस्तुत की गयी, जिन्हें आक्षेपों/सुझावों के साथ लौटाया गया और कोई अनुदान राशि का आवंटन नहीं किया गया है। साथ ही श्रीमान को अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर से इन सभी 8 नगरीय पेयजल योजनाओं के लिए आयोजना एवं गैर-आयोजना मद के अंतर्गत बजट उपलब्ध करने हेतु केबिनेट नोट प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीमान द्वारा निर्देशित किया की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव को आस्थगित (Abeyance) रखा जावे। श्रीमान ने निर्देशित किया की 74वे संविधान संशोधन की भावना स्वरूप एवं केबिनेट आज्ञा की अनुपालना में ये पेयजल योजनाएँ भी अन्य गतिविधियों की तरह नगरीय निकाय द्वारा ही संचालित एवं संधारित की जानी है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त कार्य हेतु उपलब्ध आयोजना एवं गैर-आयोजना मद के अंतर्गत बजट प्रावधान अनुसार अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित किये जाये।

**बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।**



(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

10/11

क्रमांक:एफ.55( )पीए/सीई/डीएलबी/डब्ल्यूएस(सामान्य)/2019/91617-648

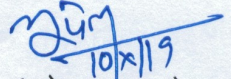
दिनांक: 11/10/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास/आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. जिला कलक्टर, बूंदी/जैसलमेर/नागौर/श्रीगंगानगर/करौली/बीकानेर/राजसमंद/जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि बैठक में दिये गये निर्देशानुसार संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करें।



6. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जवाहर सर्किल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर।
10. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, बूंदी, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, करौली, नाथद्वारा, नोखा एवं चौमूं को भेजकर लेख है कि बैठक में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करें।
11. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

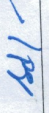
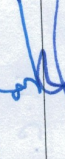
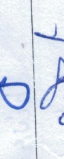
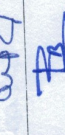
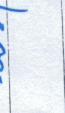
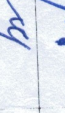
  
(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियंता



## Attendance Sheet

### Eight Town Water Supply Review Meeting Under Chairmanship of Secretary LSGD

Date 30.09.2019

| S.No | Name                     | Designation   | ULB / Department | Mobile No. | Email Id          | Signature                                                                           |
|------|--------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Sh. Bhawani Singh Detha  | Secy LSGD     | -                |            |                   |    |
| 2    | Sh. Ujjwal Rathore       | DLB & J. Secy | -                |            |                   |    |
| 3    | Sh. Bhupendra Kr. Mathur | CE (DLB)      | DLB              | 9414266266 | cedlujp@gmail.com |    |
| 4    | Renu Chandelwal          | DDR, Jaipur   |                  | 9414035520 |                   |    |
| 5    | Sanita Badsara           | E.O. Chomra   | Chomra           | 9628454444 |                   |    |
| 6    | Kamhaiji Lal Singan      | DDR Bikaner   |                  | 9414033142 |                   |    |
| 7    | R.K. Meena               | CE            | RUDP             | 9588060889 |                   |   |
| 8    | Sh. G. Singh             | Sh. G. Singh  | Sh. G. Singh     | 9461351047 |                   |  |
| 9    | Priyanka Bedanis         | Comm. Secy    | Gangaragar       | 9799967194 |                   |  |
| 10   | Sikandar Singh Gill      | XEN PHED      | Sri Ganga Nagar  | 9414232169 |                   |  |
| 11   | Sh. G. Singh             | Sh. G. Singh  | Nagaur           |            |                   |  |
| 12   | Sh. G. Singh             | Sh. G. Singh  | Nagaur           | 9783911198 |                   |  |
| 13   | Rajesh Kumar             | JEN PHED      | Nokha            | 8561010137 |                   |  |
| 14   | Gomesh Prasad Sami       | Secy          | Chomra PHED      | 9460752251 |                   |  |
| 15   | Brigish An               | Commissioner  | Taishalmer       | 9414345300 |                   |  |



## Attendance Sheet

### Eight Town Water Supply Review Meeting Under Chairmanship of Secretary LSGD

Date 30.09.2019

| S.No | Name           | Designation | ULB /<br>Department | Mobile No. | Email Id                   | Signature |
|------|----------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 16   | Prateek Narmq. | JGVN .      | M.C. Nathdwara      | 7014535345 | Narmq.Prateek135@gmail.com | dh        |
| 17   | Kishan yadav   | Jr. Acafi   | M.C. Nathdwara      | 9680787977 | Kishan.yadav@gmail.com     | dh        |
| 18   | राजेश चौरा     | अध्यक्ष     | म.प. न. न. न. न.    | 9166782193 | N.P. KASRAJOLAT XERO-COM   | dh        |
| 19   | Ravindra Meena | AGEN        | M.C. Nathdwara      | 9414512285 | ravindra1111@gmail.com     | dh        |
| 20   | Kaleem Ashraf  | AGEN        | M.C. Nathdwara      | 9460234339 | mngp1k.nagaur@gmail.com    | dh        |
| 21   | H.C. Verma     | ACE         | PHE-cell, DLG       |            |                            | dh        |
| 22   | Shivraj Puri   | SE          | PHE-cell, DLG       | 9414444402 | cedlyf@gmail.com           | dh        |
| 23   | Lokesh Saini   | EE-         | — " —               | 7350298601 | ERLOKESH SAINI@gmail.com   | dh        |
| 24   |                |             |                     |            |                            |           |
| 25   |                |             |                     |            |                            |           |
| 26   |                |             |                     |            |                            |           |
| 27   |                |             |                     |            |                            |           |
| 28   |                |             |                     |            |                            |           |
| 29   |                |             |                     |            |                            |           |
| 30   |                |             |                     |            |                            |           |



## Attendance Sheet

### Eight Town Water Supply Review Meeting Under Chairmanship of Secretary LSGD

Date 30.09.2019

| S.No | Name         | Designation | ULB /<br>Department | Mobile No. | Email Id                          | Signature                                                                         |
|------|--------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 31   | Harish Kumar | JEN         | Jaisalm             | 9116838558 | Harish Kumar<br>Jaisalm@gmail.com |  |
| 32   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 33   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 34   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 35   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 36   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 37   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 38   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 39   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 40   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 41   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 42   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 43   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 44   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |
| 45   |              |             |                     |            |                                   |                                                                                   |



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax:-0141- 2222403/2223239

web:- www.lsgraj.org

E-mail ID:-dlbrajasthan@gmail.com

दिनांक: 18/3/19

क(55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए-II/19/ 8651

अतिआवश्यक

रजिस्टर्ड A.D.

अधिशायी अधिकारी,  
परिषद्/पालिका,  
जैसलमेर, बूंदी, नागौर, श्रीगंगानगर  
रा, नोखा, चौमूं

विषय:-नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था संचालन/संधारण के संबंध में।

संदर्भ:-अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, नोखा के पत्रांक न.पा.नो/अति./2019/10855 दिनांक 05.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त जल राजस्व से जल वितरण ना संचालन के बिजली बिलों का भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जावे, ताकि जल आपूर्ति बाधित नहीं यदि आवश्यक हो तो जल वितरण व्यवस्था के संधारण के खर्चों की व्यवस्था अन्य मद से की जावे, आने वाली ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के शहरों की पेयजल व्यवस्था बाधित न हो। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण किसी भी मद से विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया जा सके तो आयुक्त/अधिशायी अधिकारी जिले के डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता से व्यक्तिशः संपर्क कर विद्युत बिलों के भुगतान की अण्डरटेकिंग (वचनबद्धता) प्रस्तुत करेंगे।

कृपया नोट करें आने वाली ग्रीष्म ऋतु/लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान जल वितरण व्यवस्था में व्यवधान पहुंचता है तो आयुक्त/अधिशायी अधिकारी पूर्ण रूप से व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 18/3/19

क(55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए-II/19/ 8652-8676

अधिशायी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, नागौर, जैसलमेर, करौली, बूंदी, बीकानेर, राजसमंद एवं जयपुर/श्री गंगानगर
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि पालना सुनिश्चित की जावे।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियंता



## राजस्थान सरकार

## स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone &amp; Fax:- 0141- 2222403/2223239

web:- www.lsgraj.org

E-mail ID:- dlbrajasthan@gmail.com

कमांक:एफ(55)/सीई/पीएचई/डीएलबी/सीडब्ल्यूएमआई/19/

85915-923

दिनांक:

12.8.19

रजिस्टर्ड एडी

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,  
नगर परिषद/पालिका,  
करौली, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, श्रीगंगानगर,  
नाथद्वारा, नोखा, चौमूं

विषय:-नगरीय निकायों की पेयजल व्यवस्था संचालन/संधारण के संबंध में।

- संदर्भ:-1. विभागीय पत्रांक एफ(55)/सीई/डीएलबी/सीडब्ल्यूएमआई/19/8651 दिनांक 18.03.2019  
2. विभागीय स्मरण पत्रांक एफ(55)/सीई/डीएलबी/सीडब्ल्यूएमआई/19/9413-420 दिनांक 26.03.2019

उपरोक्त विषय एवं विभागीय संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त जल राजस्व से जल वितरण योजना संचालन के लंबित विद्युत बिलों का भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जावे एवं यह सुनिश्चित करें कि जलापूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं हों। इसके लिए आप स्वयं के स्तर से निर्णय कर प्राथमिकता से जलापूर्ति के विद्युत बिलों का भुगतान करें। यदि विद्युत बिलों का तत्कालिक भुगतान किया जाना संभव नहीं हो तो आप जिले के डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता से व्यक्तिशः संपर्क कर उन्हें विद्युत बिलों के भुगतान के लिए उपयुक्त समयावधि की अण्डरटेकिंग (वचनबद्धता) प्रस्तुत करें।

कृपया नोट करें आपको जलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जलापूर्ति व्यवस्था किसी भी कारण से अगर बाधित होती है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए आप स्वयं पूर्ण रूप से व्यक्तिशः अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

22/8/19  
(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांक:एफ(55)/सीई/पीएचई/डीएलबी/सीडब्ल्यूएमआई/19/

85924-930

दिनांक:

12.8.19

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, नागौर, जैसलमेर, करौली, बूंदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, राजसमंद एवं जयपुर।
4. क्षेत्रीय उप निदेशक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि पालना सुनिश्चित की जावे।
5. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

24/8/19  
(भूपेन्द्र माथुर)  
मुख्य अभियंता